

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 07(7)राज/वाद/12 पार्ट-II(2023)

जयपुर दिनांक: 29/4/26

**:: आदेश ::**

विधि (वादकरण) विभाग एवं इसके अधीनस्थ राजकीय अधिवक्ता जयपुर/जोधपुर, लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजकगण के कार्यालयों में दिनांक 01.04.2026 को कार्यरत निजी सहायक ग्रेड-1 की अन्तरिम वरिष्ठता सूची (Provisional Seniority List) निम्न प्रकार प्रकाशित की जाती है:-

क. सं.	कार्मिक पहचान संख्या (Employee ID)	कर्मचारी का नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि	विभाग में कार्यग्रहण की तिथि	पदोन्नति वर्ष	श्रेणी
1	RJJW199022016685	श्री अब्दुल रईस चिश्ती	20.02.70	28.02.97	17.03.97	2023-24 (01.04.2023)	अनारक्षित
2	RJJJ199423009996	श्री श्रवण कुमार सैनी	10.07.66	28.02.97	01.05.97	2023-24 (01.04.2023)	अनारक्षित
3	RJTO199336005376	श्री धनराज साहू	13.04.69	28.02.97	13.03.97	2023-24 (01.04.2023)	अनारक्षित
4	RJAL199702012295	श्री राजेश कुमार	21.07.68	26.05.97	04.06.97	2023-24 (01.04.2023)	अनारक्षित
5	RJJJ199723011440	श्री रामावतार सैनी	01.07.72	28.02.97	10.03.97	2023-24 (01.04.2023)	अनारक्षित
6	RJAL199702012322	श्री मुकेश कुमार सैनी	01.04.77	28.02.97	05.03.97	2024-25 (01.04.2024)	अनारक्षित
7	RJSK199433002010	श्री बजरंग सिंह	08.07.68	26.05.97	08.07.97	2024-25 (01.08.2024)	अनारक्षित
8	RJTO199636006555	श्री सुरेश कुमार शर्मा	03.02.68	26.05.97	31.05.97	2025-26 (01.04.2025)	अनारक्षित
9	RJPG199730007351	श्री रूपलाल तेली	01.03.75	28.02.97	10.03.97	2025-26 (01.04.2025)	अनारक्षित
10	RJUD199737019497	श्री मुन्नवर अशरफ	23.04.73	04.06.97	02.07.98	2025-26 (01.04.2025)	अनारक्षित
11	RJJP198517023487	श्री गौरीशंकर	25.06.66	11.07.85	12.07.85	2025-26 (01.04.2025)	अनारक्षित
12	RJJP198719005056	श्री रमा अरोड़ा	15.08.66	09.02.87	12.02.87	2025-26 (01.04.2025)	अनारक्षित


उक्त वरिष्ठता सूची के संबंध में किसी कार्मिक को कोई आपत्ति हो तो वह इस सूची के जारी होने की तिथि से 15 दिवस में अपना लिखित अभ्यावेदन/आपत्तियाँ मय आधार के अपने कार्यालय के माध्यम से विभागीय वेबसाईट (secretarylaw@rajasthan.gov.in) पर भी प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि उपरोक्त निर्धारित अवधि तक अभ्यावेदन/आपत्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं तो इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी जावेगी।

ह०

(महेश पुनेठा)

विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि ए.सी.पी., विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

  
29/4/26  
विशिष्ट शासन सचिव